

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 199 / 2025

दायर दिनांक: 04.07.2025

उनवान

कालीबाई पुत्री बालाराम पत्नि परमानन्द जाति गुर्जर नि. कोटडी तह.  
पिडावा

- वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं सहपठित

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक : 11.08.2025

वादीया कालीबाई पुत्री. बालाराम पत्नि परमानन्द जाति गुर्जर नि. कोटडी तहसील पिडावा के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड कालीबाई का आधारकार्ड (626153341360), पंजाब नेशनल बैंक की खाता पासबुक, जनाधार कार्ड, ग्राम कोटडी का नामा.सं. 1219 दिनांक 13.11.2005 व नामा.सं. 1103 दिनांक 09.12.2024, ग्राम पंचायत कोटडी का प्रमाणपत्र दिनांक 18.07.2025, तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट पत्रांक 741 दिनांक 24.07.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटडी प.म. कोटडी तहसील पिडावा की जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 530 व 532 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो रेकार्ड में दर्ज की जानी)
1	ग्राम कोटडी प.म. कोटडी	532	काशीबाई पुत्री बालाराम	कालीबाई उर्फ काशीबाई पुत्री बालाराम
2	तहसील पिडावा	530	रतनबाई पुत्री बालाराम	कालीबाई उर्फ रतनबाई पुत्री बालाराम

उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)  
दिनांक 11/08/2025

क्रमांक:- राजस्व / 2025 / 199

प्रतिलिपी-तहसीलदार पिडावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)  
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

